

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक- पि0व0/4/वि0यो0-22-04/2025- 73

पटना, दिनांक- 9/9/25

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर (भा0प्र0सं0),
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
अरवल, नवादा एवं किशनगंज।

विषय:- विभागान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए राज्य के 03 जिलों यथा-अरवल, नवादा एवं किशनगंज में नवनिर्मित 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में जीविका के माध्यम से मेस संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों यथा-बर्तन आदि के क्रय हेतु प्रति विद्यालय रू0 13,43,100/- की दर से कुल राशि रू0 40,29,300/- (रू0 चालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र एवं R.O UV Water Cooler Cum Purifier के अधिष्ठापन हेतु प्रति विद्यालय रू0 5,00,000/- की दर से कुल राशि रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख) मात्र तथा पुस्तकालय हेतु प्रति विद्यालय रू0 5,00,000/- की दर से कुल राशि रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रू0 70,29,300/- (रू0 सत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है विभागीय स्वीकृति संख्या- 72, दिनांक- 9/9/25 के द्वारा विभागान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए राज्य के 03 जिलों यथा-अरवल, नवादा एवं किशनगंज में नवनिर्मित 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में जीविका के माध्यम से मेस संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों यथा-बर्तन आदि के क्रय हेतु प्रति विद्यालय रू0 13,43,100/- की दर से कुल राशि रू0 40,29,300/- (रू0 चालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र एवं R.O UV Water Cooler Cum Purifier के अधिष्ठापन हेतु प्रति विद्यालय रू0 5,00,000/- की दर से कुल राशि रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख) मात्र तथा पुस्तकालय हेतु प्रति विद्यालय रू0 5,00,000/- की दर से कुल राशि रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रू0 70,29,300/- (रू0 सत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त स्वीकृति के आलोक में संलग्न सूची (परिशिष्ट-1) के अनुसार 3 (तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में जीविका के माध्यम से मेस संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों यथा-बर्तन आदि के क्रय हेतु प्रति विद्यालय रू0 13,43,100/- की दर से कुल राशि रू0 40,29,300/- (रू0 चालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र एवं R.O UV Water Cooler Cum Purifier के अधिष्ठापन हेतु प्रति विद्यालय रू0 5,00,000/- की दर से कुल राशि रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख) मात्र तथा पुस्तकालय हेतु प्रति विद्यालय रू0 5,00,000/- की दर से कुल राशि रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रू0 70,29,300/- (रू0 सत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र आवंटित की जाती है।

3- कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या-11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ, विपत्र कोड संख्या- 11.2225032770010 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4- उक्त राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5- राशि का व्यय एवं सामग्री का क्रय/संधारण/अधिष्ठापन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-72 दिनांक-9/9/25 के कंडिका-3 में अंकित दिशा निर्देशों के तहत किया जायेगा।

6- जीविका के पत्रांक-BRLPS/Proj-NF/2373/24/378 दिनांक-08.05.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में जीविका दीदी की रसोई के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु जरूरी उपकरणों, बर्तन आदि की सूची संलग्न करते हुए प्रति विद्यालय राशि रु0 13,43,100/- मात्र का व्यय का आकलन किया गया है।

आवंटित राशि का व्यय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिये गये निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का विवरणी एवं उपयोगता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जायेगा किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

7- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

8- प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9- प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

10- इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/4/वि0यो0-22-04/2025-73 पटना, दिनांक-9/9/25
प्रतिलिपि-हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/4/वि0यो0-22-04/2025-73 पटना, दिनांक-9/9/25
प्रतिलिपि-सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/4/वि0यो0-22-04/2025-73 पटना, दिनांक-9/9/25
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार के अपर सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/4/वि0यो0-22-04/2025-73 पटना, दिनांक-9/9/25
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट-1

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में जीविका के माध्यम से मेस संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों यथा-बर्तन आदि, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर के अधिष्ठापन तथा पुस्तकालय हेतु आवंटित राशि का विवरण

विपत्र कोड-11-2225032770010

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	आवश्यक सामग्रियों यथा-बर्तन आदि	पुस्तकालय	आर0ओ0 प्यूरीफायर	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अरवल	1343100	500000	500000	2343100
2	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, नवादा	1343100	500000	500000	2343100
3	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, किशनगंज	1343100	500000	500000	2343100
	योग	4029300	1500000	1500000	7029300

(रूपये सत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र

पत्रांक- 73

दिनांक- 9/9/25

का अनुलग्नक।

9/9/25
सरकार के अपर सचिव।